डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ
वित्त समिति की तेईसवीं बैठक दिनांक–08.08.2019 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. प्रो0 सुबीर कुमार भटनागर, कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ। — अध्यक्ष
2. श्री विपिन कुमार, विशेष सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ। — नामित सदस्य
3. श्री मदन राजा मौर्या, अपर निदेशक कोषागर एवं पेंशन उ0प्र0 शासन, लखनऊ। — नामित सदस्य
4. मनोज कुमार, कुलसचिव डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ। — सदस्य
5. श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ। — सदस्य सचिव

बैठक के आरम्भ में कुलपति महोदय द्वारा समस्त उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का settlement विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, अनुदान का सैटिलमेंट(settlement) कराने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय रहा। इसके उपरान्त सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित एजेण्डा एवं प्रत्येक एजेण्डा बिन्दु पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की गयी। प्रत्येक बिन्दु पर वित्त–समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1

वित्त समिति की बाईसवीं बैठक दिनांक 08.12.2018 में लिये गये निर्णयों एवम् बैठक के कार्यवृत्त की वित्त समिति द्वारा पुष्टि

वित्त समिति की बाईसवीं बैठक दिनांकः 08.12.2018 का कार्यवृत्त **संलग्नक–(1)** विश्वविद्यालय द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–311 / 33 / एनएलयू / लेखा / वि.स. / 2018–19, दिनांकः 10 दिसम्बर, 2018 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों को पुष्टि हेतु प्रेषित किया गया। किसी भी माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

अतः वित्त समिति से निर्णयों एवम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निवेदित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

वित्त समिति द्वारा इक्कीसवीं बैठक दिनांक 08.08.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

SKB

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2

वित्त समिति की बाईसवीं बैठक दिनांकः 08.12.2018 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

क्रम संख्या	एजेण्डा बिन्दु	अनुपालन आख्या
1.	वित्त समिति की बाईसवीं बैठक दिनांक 08.12.2018 में लिये गये निर्णयों एवम् बैठक के कार्यवृत्त की वित्त समिति द्वारा पुष्टि।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
2.	वित्त समिति की बाईसवीं बैठक दिनांकः 08.12.2018 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
3.	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवम् 2017–18 के संशोधित मदवार व्ययों, वित्तीय वर्ष 2018–19 एवम् 2019–20 के आय–व्ययक अनुमानों के अनुमोदन पर विचार।	कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी है।
4.	एक लाख से अधिक मूल्य के किये गये क्रय/कराये गये अनुरक्षण/सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों से कराये गये निर्माण के कार्यों पर वित्त समिति के कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
5.	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवम् 2017–18 की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी एवम् सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट के अनुमोदन पर विचार	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
6.	सेवाप्रदाता के माध्यम से योजित सेवाओं की दरों में वृद्धि किये जाने पर विचार।	वर्तमान अनुबन्ध माह जुलाई, 2019 तक है। इसकी समाप्ति से पूर्व कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

<u>वित्त समिति का निर्णयः–</u>

वित्त समिति द्वारा दिनांक 08.08.2018 की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा एजेण्डा बिन्दु संख्या–6 में यह निर्देश दिये गये कि सेवाप्रदाता के माध्यम से योजित सेवाओं के सम्बन्ध में जल्द से जल्द कार्यवाही सम्पन्न करायी जाये।

SKBL

एजेन्डा बिन्दु संख्या–3

वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित मदवार व्ययों, वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान एवम् वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमानों के अनुमोदन पर विचार

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुदान संख्या–73 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रदान की गयी स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष हुये व्ययों की स्थिति निम्नवत है:–

2018–19

(धनराशि लाख में)

क्रम संख्या	मानक मद संख्या	प्रावधानित धनराशि	आहरित धनराशि	व्यय	अभ्युक्ति
1.	20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर–वेतन)	700.00	700.00	700.00	सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।
2.	31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन)	625.00	617.58	617.58	अवशेष धनराशि रू0 7.42 लाख को अर्भ्यपित कर दिया गया है।
3.	20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर–वेतन)–सेमीनार आयोजन हेतु –आयोजनागत	1.50	1.50	1.43	अवशेष धनराशि रू0 .07 लाख को प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया है।
4.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी के माध्यम से शिक्षकों के सातवें वेतनमान के अवशेष की राशि	173.40	173.40	129.26	अवशेष धनराशि रू0 44.14 लाख को प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष संशोधित मदवार व्यय की स्थिति **संलग्नक–2** पर माननीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आय–व्ययक अनुमान की पुनरीक्षित फॉट **संलग्नक–2** पर माननीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आय–व्ययक अनुमान तैयार कर माननीय वित्तीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित व्ययों, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु तैयार किये गये आय–व्ययक अनुमानों की पुनरीक्षित फॉट एवम् वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमान पर माननीय वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णय:–

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित मदवार व्ययों, वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान एवम् वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमानों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु संख्या—4

एक लाख से अधिक मूल्य के किये गये क्रय/कराये गये वार्षिक अनुरक्षण के कार्यो पर कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार

वित्तीय वर्ष 2018—19 में तात्कालिक आवश्यकता एवम् विश्वविद्यालय हित को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय सामग्रियों का क्रय मूल निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि से किया गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित उपकरणों का अनुरक्षण मूल निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि से कराया गया है जिनका विवरण निम्नवत है:—

मूल निर्माता फर्म/अधिकृत विक्रेता से किये गये क्रय का विवरण

क्र0स0	कार्य का विवरण	फर्म/कार्यदायी संस्था का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की स्थिति	धनराशि (रू0 में)
1.	पॉच वाटर कूलर का क्रय	मै0 एस0आर0 इंटरप्राईजेज	प.सं.—1544 दिनांक 24.05.2018 एवम् 4.09.2018	4,83,000.00
2.	32 यू0पी0एस0 बैट्री का क्रय एवं रैक का क्रय	मै0 सुरेन्द्र बैट्री सर्विसेस	प.सं.—144 दिनांक 30.08.2018	1,94,200.00

मूल निर्माता फर्म अथवा कम्पनी के अधिकृत सेवाप्रदाता से कराये गये वार्षिक अनुरक्षण का विवरण

क्र0स0	कार्य का विवरण	फर्म/कार्यदायी संस्था का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की स्थिति	धनराशि (रू0 में)
1.	तीन जनरेटर सेट्स के वार्षिक अनुरक्षण पर व्यय	मै0 कमिन्स सेल्स एण्ड सर्विसेस प्रा0 लि0	प0सं0—1422 दिनांक 30.03.2019	2,80,527.00
2.	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित यूरेका फोर्ब्स के 20 आर0ओ0 मशीन का वार्षिक अनुरक्षण अवधि 1.04.2018 से 31.03.2019	मै0 सेन इंजीनियरिंग एवं टेक्नीकल सर्विसेस	प.सं.—1544 दिनांक 1.04.2018	6,45,040.00
3.	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित ओटिस कम्पनी के लिफ्ट्स का वार्षिक अनुरक्षण **1. टाईप—V की दो लिफ्ट हेतु:—** 1.04.2018 से 31.03.2019 रू0 1,50,260.00 1.04.2019 से 31.03.2020 रू0 1,57,773.00 **2. प्रेक्षागृह की दो लिफ्ट हेतु:—** संचालन योग्य बनाने हेतु अनुरक्षण रू0 2,10,000.00 1.04.2018 से 31.03.2019 रू0 94,400.00 **3. पुस्तकालय की एक लिफ्ट हेतु:—** 1.12.2018 से 30.11.2018 रू0 41,089.00	मै0 ओटिस एलीवेटर क0 (इण्डिया) लि0	प.सं.—314 दिनांक 05.05.2018, 27.07.2018 एवम् 24.12.18.	6,53,522.00
4.	ई.पी.बी.एक्स. सिस्टम का वार्षिक अनुरक्षण 1.01.2019 से 31.12.2020	मै0 प्रोजिलिटि टेक्नोलॉजीस प्रा0 लि0.	प.स.—2292 दिनांक 13.12.18	2,63,140.00
5.	केन्द्रीयकृत वातानुकूलन संयंत्र के वार्षिक अनुरक्षण एवम् संचालन पर व्यय 1.02.2019 से 31.01.2020	मै0 वोल्टाज लिमिटेड	प.स.—2145 दिनांक 22.04.2015	54,02,683.00

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय हित में मूल निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से किये गये क्रय/कराये गये अनुरक्षण के कार्यों पर वित्त समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रस्तावित है।

<u>वित्त समिति का निर्णय:—</u>

एक लाख से अधिक मूल्य के किये गये क्रय एवम् कराये गये अनुरक्षण के कार्यों पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु विशेष सचिव(न्याय) द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि वे इस प्रकरण से अवगत हुए।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–5

वित्तीय वर्ष 2018–19 की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी एवम् सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट के अनुमोदन पर विचार

विधि विश्वविद्यालय के वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखे (Balance Sheet) तैयार किये जा चुके है। वार्षिक लेखे (Balance Sheet) को विश्वविद्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार एवम् सम्प्रेक्षित किया गया है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा बनायी गयी वित्तीय वर्ष 2018–19 की सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट **संलग्नक–3** पर वित्त समिति के अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की तैयार एवंम् सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट पर वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

माननीय वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु विशेष सचिव(न्याय) द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि वे इस प्रकरण से अवगत हुए।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–6

विश्वविद्यालय के सभागार, सेमिनार हॉल, अतिथि–गृह, मूटकोर्ट हॉल, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इत्यादि का बाह्य संस्थाओं द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु किराये का निर्धारण

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के विभिन्न श्रेणियों के कक्षों हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या–0346(3)/एनएलयू.लखनऊ/प्रशा0–जी–5/11–12 दिनांक 12 जुलाई, 2011 द्वारा निम्नलिखित किराये की दरें निर्धारित की गयी थीं:–

S.N.	Category of room	General Rates per day (for 24 hours)per room/suite	Concessional rates for students' parents	Concessional rates for University employees
1.	VVIP Suites	2500.00	Not to be allotted	-
2.	VIP Suites	1500.00	1000.00	-
3.	AC Standard	750.00	500.00	100.00

उपरोक्त दरों में विगत 08 वर्षों से कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है, जबकि रखरखाव इत्यादि पर व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अतः उपरोक्त दरों का निम्नवत् पुनरीक्षण प्रस्तावित है:–

S.N.	Category of room	General Rates per day (for 24 hours)per room/suite	Concessional rates for students' parents	Concessional rates for University employees
1.	VVIP Suites	3500.00	Not to be allotted	Not to be allotted
2.	VIP Suites	2000.00	1500.00	500.00
3.	AC Standard	1000.00	750.00	250.00

विश्वविद्यालय के अतिथियों हेतु कुलपति द्वारा अतिथि–गृह का आवंटन निःशुल्क के किया जा सकेगा।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय में उपलब्ध अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु बाह्य संस्थाओं से ली जाने वाली दरों में भी निम्नलिखित पुनरीक्षण/निर्धारण प्रस्तावित है:–

S.N.	Venue	Present Rates	Proposed Rates per day
1.	Seminar Hall	30,000.00	35000.00 + GST
2*.	University Auditorium Main Hall (2650 seating capacity)	3,00,000.00	3,50,000.00 + GST
3*.	University Auditorium Mini Hall (Conference Hall of 350 seating capacity)	38,000.00	50,000.00 + GST
4.	Committee /Council Rooms/Lecture Hall	Not decided	15,000.00 + GST
5.	Library Audio-Visual Room		25,000.00 + GST
6.	Moot Court Hall		35,000.00 + GST
7.	Lecture Hall (F-1)		20,000.00 + GST

*** Security deposit of Rs. 30,000/- and Rs. 5,000/-(Refundable) per booking shall be payable separately for facilities at S.No. 2 and 3 respectively.**

उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों, राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु कुलपति जी के अनुमोदन से बिना किसी शुल्क के उपरोक्त सुविधायें आरक्षित की जा सकती हैं।

उपरोक्त प्रस्ताव पर माननीय वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

माननीय वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के सभागार, सेमिनार हॉल, अतिथि–गृह, मूटकोर्ट हॉल, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इत्यादि **(लेक्चर हाल(एफ–1) को छोड़कर)** का बाह्य संस्थाओं/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों/कार्मिकों द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु किये गये किराये के निर्धारण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–7

विश्वविद्यालय के सिविल अनुरक्षण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त किये गये प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन

विश्वविद्यालय के पास सिविल कार्यों के अनुरक्षण हेतु कोई अपनी इंजीनियरिंग विंग उपलब्ध नहीं है, अतः समय–समय पर आवश्यक अनुरक्षण कार्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं/निगमों अथवा खुली निविदा के माध्यम से कराया जाता रहा है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के एकेडमिक भवन, शिक्षक आवासों, ट्यूबवेल एवं ओवरहेड वाटर टैंक, स्वीमिंग पूल, सभागार, छात्रावासों में अनुरक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रस्ताव विभिन्न संस्थाओं से मांगे गये हैं/प्राप्त कर लिये गये हैं:–

क्र. सं.	कार्य	आंकलित अनुमानित राशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था का नाम	आख्या/औचित्य
1.	शैक्षणिक भवन की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग कार्य	90.55	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0	बिन्दु–1 पर अवलोकनीय है।
2.	सभागार की माइनर रिपेयर एव पेन्टिंग कार्य	125.44	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0	बिन्दु–2 पर अवलोकनीय है।
3.	स्वीमिंग पूल की माइनर रिपेयर एव पेन्टिंग कार्य	29.65	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0	बिन्दु–3 पर अवलोकनीय है।
4.	शिक्षक आवासों की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग कार्य	135.51	लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0	बिन्दु–4 पर अवलोकनीय है।
5.	02 लाख लीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक की मरम्मत एवं पेन्टिंग कार्य तथा नये पम्पहाउस की स्थापना का कार्य	36.50	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0	बिन्दु –6 पर अवलोकनीय है।
	कुल धनराशि	417.65	–	

1. शैक्षिक भवन का निर्माण लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ था। सतत् अनुरक्षण न होने के कारण इसमें सीलन की समस्या बनी हुई थी तथा दीवारों पर प्लास्टर इत्यादि टूटने तथा फाल्स सीलिंग टूटने की घटनायें हो रही हैं जिस कारण इसका अनुरक्षण कराया जाना अति आवश्यक हो गया था। शैक्षिक–सत्र जुलाई में प्रारम्भ होने के दृष्टिगत कुलपति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।
2. सभागार का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व रूपये 61.15 करोड़ की लागत से हुआ था। अद्यतन कोई भी अनुरक्षण न हो पाने के कारण वुडेन पैनल, डायस में दीमक लग चुकी है। सीपेज की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है तथा पेन्टिंग की आवश्यकता है। अनुरक्षण की आवश्यकताओं के चलते सभागार का आवंटन वी0आई0पी0 कार्यक्रमों हेतु बन्द कर दिया गया है। अतः इसका अनुरक्षण कराया जाना अति आवश्यक है।
3. लगभग रू0 4.49 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित स्वीमिंग पूल विगत 03 वर्ष से बन्द पड़ा है जिसे संचालित कराये जाने हेतु आवश्यक अनुरक्षण अनिवार्य है।

4. विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित शिक्षक आवासों यथा टाईप–4 एवम् टाईप–3 के आवासित भवनों में सीलन इत्यादि की गंभीर समस्यों हैं तथा चौखटें एवं दीवारों में दीमक की समस्या है। ग्रिट फिनिश टूट जाने के कारण इसकी मरम्मत तथा पुताई की आवश्यकता है।
5. छात्रावासों में जल आपूर्ति हेतु स्थापित बोर–वेल विगत 02 वर्षों निष्क्रिय हो जाने के कारण 02 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक भी निष्क्रिय हो गया था जिस कारण छात्रावासों में जलापूर्ति बाधित हो रही थी, अतः तत्काल नये बोर–वेल की स्थापना तथा ओवरहेड टैंक की मरम्मत का कार्य आवश्यक था जिस हेतु कुलपति से अनुमोदन प्राप्त करते हुये जून, 2019 में कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावों पर वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

शिक्षक आवासों की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग के कार्य विभिन्न भवनों के सिविल अनुरक्षण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों का वित्त समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा शिक्षक आवासों की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग के कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय में एक भवन समिति का गठन कर लिया जाये जो शिक्षक आवासों एवम् छात्रावासों की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग की वास्तविक आवश्यकता के आलोक में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त दी गयी संस्तुति के अनुसार कार्यो को सम्पादित कराया जाये। शेष कार्यों पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु विशेष सचिव(न्याय) द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि वे इस प्रकरण से अवगत हुए।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–8

विश्वविद्यालय के शैक्षिक वर्ष 2020–21 से प्रवेशित छात्रों से लिये जाने वाले वार्षिक शुल्क में वृद्धि पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में बी.ए.एल.एल.बी.(आनर्स), एलएल.एम. एवम् पीएच.डी. के विद्यार्थियों से निम्नानुसार फीस ली जा रही है:–

तालिका–1

मद का नाम	कोर्स का नाम		
	बी.ए.एल.एल.बी. (आनर्स)	एलएल.एम.	पीएच.डी.
प्रवेश / पंजीयन फीस	1,000.00	1,000.00	5,000.00
शिक्षण शुल्क	60,000.00	20,000.00	30,000.00
यूटीलिटी चार्जेज	48,000.00	48,000.00	20,000.00
कॉशनमनी	10,000.00	10,000.00	5,000.00
योग	**1,19,000.00**	**79,000.00**	**60,000.00**

उपर्युक्तानुसार शुल्क वित्तीय वर्ष 2016–17 से लिया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु तैयार बजट के अनुसार विश्वविद्यालय की प्राप्तियॉ, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान भी सम्मिलित है एवम् व्यय लगभग समान होने का अनुमान है। विश्वविद्यालय के भवनों एवम् उपकरणों के अनुरक्षण, विद्युत, सुरक्षा व्ययों एवम् अन्य सेवाओं की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है। जिनकों दृष्टिगत रखते हुये विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क को बढ़ाया जाना अवश्यमभावी हो गया है। फीस में वृद्धि किये जाने हेतु देश के अन्य विधि विश्वविद्यालयों की फीस जानकारी प्राप्त की गयी है। नौ विधि विश्वविद्यालयों की बी.ए.एल.एल.बी.(आनर्स) की औसत फीस रू0 2,09,000.00 एवम् एलएल.एम. की औसत फीस रू0 1,36,000.00 मात्र है।

उपर्युक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुये निम्नानुसार पुनरीक्षित वार्षिक शुल्क आगामी शिक्षा सत्र 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना प्रस्तावित है। पुनरीक्षित शुल्क में सम्मिलित विकास शुल्क का उपयोग विश्वविद्यालय पूँजीगत व्यय में ही किया जायेगा:–

तालिका–2

मद का नाम	कोर्स का नाम		
	बी.ए.एल.एल.बी. (आनर्स)	एलएल.एम.	पीएच.डी.
प्रवेश / पंजीयन फीस **(प्रवेश के समय)**	10,000.00	10,000.00	10,000.00
शिक्षण शुल्क	60,000.00	20,000.00	30,000.00
यूटीलिटी चार्जेज	48,000.00	48,000.00	20,000.00
विकास शुल्क	25,000.00	25,000.00	25,000.00
कॉशनमनी(रिफन्डेबल)	10,000.00	10,000.00	5,000.00
योग	**1,53,000.00**	**1,13,000.00**	**90,000.00**

उपर्युक्तानुसार आगामी शिक्षा सत्र 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिए जाने वाले पुनरीक्षित शुल्क के प्रस्ताव पर माननीय समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

<u>वित्त समिति का निर्णय:–</u>

माननीय वित्त समिति द्वारा आगामी शिक्षा सत्र 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिए जाने वाले विकास शुल्क इत्यादि के वृद्धि के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि इसका अनुमोदन कार्यपरिषद से प्राप्त कर लिया जाये।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–9

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों में ली जा रही शुल्क की दरों में वृद्धि पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है। अब विश्वविद्यालय द्वारा इन प्रमाण पत्रों को साफ्टवेयर के माध्यम से ऑन–लाईन प्रकिया के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने की प्रणाली विकसित की जा रही है। इस प्रकिया के अन्तर्गत साफ्टवेयर, ऑन–लाईन प्रणाली के रख–रखाव पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा अपन स्रोतों से किया जा रहा है/जायेगा। जिसको दृष्टिगत रखते हुये अन्य विश्वविद्यालयों की भॉति विभिन्न प्रकार के शैक्षिक दस्तावेज तथा अन्य मदों के शुल्कों का निर्धारण निम्नवत किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	मद का नाम	बर्तमान शुल्क की दर	प्रस्तावित शुल्क की दर
1.	Provisional/Migration Fee	200.00	500.00
2.	Degree/Diploma Fee	1000.00	1500.00
3.	Duplicate Digree Fee	-	2000.00
4.	Duplicate Grade Sheet Fee	200.00	500.00
5.	Duplicate Character Fee	-	200.00
6.	Provisional Statement of Grades Fee	-	200.00
7.	Transcript Fee(per copy)	-	800.00
8.	CPI/CGPA to Percentage Conversion Certificate	-	200.00
9.	Review/Scruitiny/Repeat Exam Fee (per paper)	300.00	500.00
10.	Verification Fee for Testimonials	500.00	1000.00

उपर्युक्त शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव पर माननीय वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

माननीय वित्त समिति द्वारा विभिन्न मदों में ली जा रही शुल्क की दरों में वृद्धि पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–10

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः–

1. **विश्वविद्यालय में निर्मित नवीन स्पोर्टस कॉम्पलेक्स की सुविधाओं इत्यादि का उपयोग करने हेतु वार्षिक शुल्क का निर्धारण किये जाने पर विचार**

विश्वविद्यालय में एक पृथक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया गया है जिसमें वातानुकूलित जिम्नेजियम की सुविधा, बिलियर्ड रूम, एवम् स्कवायश कोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में एक ओलम्पिक स्तर का तरणताल एवम् लॉन टेनिस की सुविधा भी है। इन सुविधाओं का रखरखाव ठीक प्रकार से करने हेतु वार्षिक शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार वातानुकूलित जिम्नेजियम की सुविधा, बिलियर्ड्स रूम, स्कवायश कोर्ट एवम् लॉन टेनिस की सुविधा का उपयोग करने हेतु रू0 2,000.00(रू0 दो हजार मात्र) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एवम् ओलम्पिक स्तर के तरणताल हेतु रू0 1,500.00(रू0 पंद्रह सौ मात्र) प्रति व्यक्ति वार्षिक शुल्क विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवम् शिक्षकों, कार्मिकों तथा उनके परिजनों से समान रूप से लिया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

माननीय वित्त समिति द्वारा नवीन निर्मित स्पोर्टस कॉम्पलेक्स की सुविधाओं का उपयोग करने हेतु वार्षिक शुल्क का निर्धारण किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक के अन्त में समिति के सचिव द्वारा सदस्यों एवं कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(विजय कुमार श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी एवम् सचिव
वित्त समिति
डा0राम मनोहर लोहिया
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

(प्रो0 सुबीर कुमार भटनागर)
कुलपति एवम् अध्यक्ष
वित्त समिति
डा0 राम मनोहर लोहिया,
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
लखनऊ